न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **95 / 2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री गोवर्धन लाल कुमावत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार कारोईकलां तहसील व भीलवाड़ा
——**अपीलार्थी**		——**प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 16/12/2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 41 एफ 579210 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 22.09.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2020 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार कारोईकलां भीलवाडा_द्वारा पत्रांक 32 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना, कार्यालय उप तहसीलदार कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा के पत्रांक 353 दिनांक 29.10.2020 द्वारा जरिये डाक अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 16/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा